राजस्व लोक अदालत 2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्टः– श्री उदयभानू चारण(आर.ए.एस.)
कैम्प–बड़नावा दिनांकः– 8.6.16

मुकदमा सं0 :–57/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अदरीमखां 2. हनीफखां, 3. कारीमखां उर्फ कम्मेखां पुत्र खिदूखां 4. तालाबखां पुत्र मुरीदखां 5. लादूखा, 6. हकीमखां , 7. अलीखां 8. हबीबखां 9. दावदखां पुत्र नेकूखां नाबालिग जरीये कुदरती जरीये वली माता भायती वादी सं0 10 10 भायती बेवा नेकूखां कौम मुसलमान निवासियान नयापुरा तहसील पचपदरा		1. हाजी पुत्र निम्बा के कायम मुकाम (1) शरीफो पत्नी रहीम 2.,बरकत 3. वगसा 4. मीरमोहम्मद पुत्र नीबा 5. आरब पुत्र धूमा कौम मुसलमान 6. मेहरेखां पुत्र मुबाखांजी कौम मुसलमान 7. सुलेमानखां पुत्र मुबाखांजी कौम मुसलमान 8. नसीरखां पुत्र मुबाखांजी कौम मुसलमान निवासीयान नयापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प बडनावा में पेश हुई । वाद के मुख्य तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का खानदानी सजरा वाद पत्र के पद सं0 1 में वर्णित अनुसार है। वादी एवं प्रतिवादी गण की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा सं.क्रमशः 291, 303, 417, 435, 414 रकबाक्रमशः 60.10, 76.13, 87.02, 97.04, 04.12 कुल रकबा 326.01 बीघा राजस्व ग्राम नयापुरा में एवं खसरा सं0 159 रकबा 98.00 बीघा सरहद मौजा नयापुरा मे आया हुआ है। नीबां व खूमा ने वत्क सेटलमेंट राजस्व ग्राम बड़नावा मौजूदा राजस्व ग्राम नयापुरा में स्थित खसरा की भूमि में निम्बाव घूमा ने अपने साथ मुबे व खिदूजा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया लेकिन बदनियती से व सेटलमेंट वालों से मिलावट कर गांव खनौड़ा में स्थित खसरासं0 159 रकबा 98 बीघा में मुबेखां व खिदूखा का नाम दर्ज नह करवाया । उक्त वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक वादीगण के कब्जा काश्त में है। वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी का है। वादी ने वाद प्रस्तुत कर खसरा सं0 159 रकबा 98.00 बीघा सरहद मौजा खनौड़ा की भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा का खातेंदार कास्तकार घोषित किया जाने एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत हुआ जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि वक्त सेटलमेंट से खिदूखां, धूमाखां, मुबेखां नीबेखां उक्त वाद में वर्णित भूमि पर काबिज थे। इनके वारिसान का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने पर हम सहमत है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रतिवादीगण वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने पर सहमत है। प्रतिवादीगण को वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने पर कोई एतराज नही है। अतः राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा की मूल भावना से प्रेरित हो कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार न्योचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्रामखनौड़ा के खसरा सं0159 रकबा 98 बीघा में वादीगण का 1/4 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल– दरामद हो । तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते है कि वादीगण का नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रेकड में अमल दरामद करे।खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

(उदयभानु चारण)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner